HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 932/2026
URN: CFA / 1498U / 2026

Rampyari and Others

----Appellants

Versus

Mahadev Prasad Saini Son Of Sugan Chand Saini,

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Jai Raj Tantia
For Respondent(s)	:	None Present

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

17/07/2026

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि इकरारनामा दिनांक 27.06.2003 को निष्पादित हुआ। प्रत्यर्थी/वादी द्वारा दिनांक 19.05.2014 को वाद संस्थित किया गया, जबकि विक्रेताग्रण की 2010 से 2016 के मध्य मृत्यु हो चुकी थी, विक्रेतागण के जीवन काल में प्रत्यर्थी/वादी के द्वारा कोई वाद संस्थित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त वादी संविदा के भाग की पालना हेतु तैयार और तत्पर है या नहीं, इस संबंध में विवाद्यक संख्या 2 को विद्वान विचारण न्यायालय ने विवेचित नहीं किया और इस संबंध में अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 25.04.2026 में एक शब्द भी नहीं कहा। यदि वादग्रस्त प्लॉट का इकरारनामा दिनांक 27.06.2003 के आधार पर बयनामा हो चुका है तो इससे पक्षकारों में अनेक पेचीदगियां उत्पन्न होंगी तथा वाद की बहुलता बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में इकरारनामा दिनांक 27.06.2003 के अनुरूप बयनामा निष्पादित नहीं किए जाने के संबंध में निषेधाज्ञा प्रदान की जावे।

विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–1, अलवर ने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 83/2014 महादेव बनाम रामप्यारी वगैरह

दिनांक 28.02.2024 को आदेश पारित कर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की थी।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अतः समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी इकरारनामा दिनांक 27.06.2003 के आधार पर बयनामा पंजीकृत नहीं करे और ना ही करावें तथा वादग्रस्त संपत्ति को प्रकरण की आगामी तिथि तक किसी तृतीय पक्ष के अधिकार उत्पन्न करने के उद्देश्य से किसी भी तरह से तीसरे पक्ष को बेचान/अंतरण, रहन नहीं करेंगे। उक्त आदेश प्रत्यर्थी पर नोटिस तामील होने के पश्चात प्रभावी होगा। यह स्थगन आदेश मात्र आगामी पेशी तक है और प्रत्यर्थी के उपस्थित होने पर दोनों पक्षों को सुनकर स्थगन प्रार्थना पत्र पर नए सिरे से आदेश पारित किया जाएगा।

प्रकरण दो सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI/10